ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 55-57
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

स्त्री असमानता एवं कन्या भ्रूण हत्या का बोध

ज्योति शर्मा
शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि.,चित्रकूट –सतना (म.प्र.), भारत

Received- 15 .10. 2018, Revised- 22 .10. 2018, Accepted- 25.10.2018 Email- vishnucktd@gmail.com

सारांश : *महिलाओं का मानव सृष्टि में ही नहीं वरन् समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। मानव समाज में स्त्री और पुरूष एक गाड़ी के दो पहिये हैं। स्त्री–पुरूष परस्पर पूरक होकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। ये दोनों मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। प्रकृति ने एक–दूसरे को एक–दूसरे पर आश्रित बनाया है। जब तक समाज में स्त्री को पूज्य माना गया, स्त्री–पुरूष समानता बनी रही परन्तु जब से स्त्री को हेय की दृष्टि से देखा गया, तभी से समानता का विघटन शुरू हो गया। एक को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न मानने से असामना बढ़ी है।*

भारत एक पुरूष प्रधान समाज है। भारत में परम्परागत रूप से पितृ सत्तात्मक संयुक्त समाज परिवार व्यवस्था पायी जाती है, जिसमें स्त्रियों को उनके अनेक अधिकारों से वंचित किया जाता है, लेकिन परिवार के सदस्यों को तो अनेक अधिकार एवं सुविधायें प्राप्त हैं। परिवार से स्त्रियों को घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना स्त्री एकता तथा संगठन के रास्ते में बाधा रहा है। हर महिला को यौन

संबंधों पर नियंत्रण के साथ उसे पैत्रक सुरक्षा भी मिलती रहती है। इस प्रकार वह सारी जिन्दगी बच्चों की तरह सुरक्षित और अधीनस्थ जीवन जीने के लिए आदी हो गयी है। इस के विपरीत दूसरे दलित वर्गों में उनके अपने दमन के कारण ही आपसी सहअस्तित्व की भावना विकसित होती है। स्त्रियों में समूह चेतना जगाने के रास्ते मे स्त्रियों की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता की समर्थक परम्परा का अभाव एक महत्वपूर्ण बाधा है।

मुख्य शब्द– अधीनस्थ, सहअस्तित्व, परम्परा ,समूह चेतना, स्वतंत्रता, स्वायतत्य, वैदिक काल, लिंगानुपात, क्रूर।

यदि विश्व इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें पता चलता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम नारी को ही दिया जाता है, परन्तु सभी समाजों में नारी की प्रस्थिति एक–समान नहीं होती। परिवार में स्त्री और पुरूष के कार्य व स्थान भिन्न–भिन्न होते हैं। किसी समाज में यदि नारी को पुरूषों के बराबर का दर्जा दिया जाता है तो किसी समाज में स्त्रियों को कम अधिकार प्राप्त हैं।

गर्भ से लिंग परीक्षण के बाद कन्या शिशु को हटाना कन्या भ्रूण हत्या है। हमारी संस्कृति कितनी क्रूर और अमानवीय हो गयी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां एक ओर कन्याओं को लक्ष्मी की संज्ञा की जाती है वहीं दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्यायें हो रही हैं। आज हमारे यहां स्त्री–पुरूष अनुपात तेजी से घट रहा है। महिलाओं की संख्या में प्रति हजार पुरूषों पर तेजी से गिरावट आ रही है। लड़कियों की घटती संख्या का बहुत बड़ा का कन्या भ्रूण हत्या है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को पालने–पोसने, उनकी रक्षा करने तथा उनके जवान होने पर दहेज देकर उसका विवाह करने से बचने के लिए लड़की जन्म को अभिशाप मानते हैं। इस अभिशाप से बचने के लिए कन्या भ्रूण को मां की कोख में मार देते हैं।

वैदिक काल में महिलाओं को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें हर तरह के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन आज स्त्री–पुरूष के अनुपात का घटता अनुपात चिन्ता का विषय होने के साथ ही स्त्री के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। लड़की शिशुओं की संख्या दिनों–दिन घटती जा रही है। इसमें सबसे भयावह स्थिति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे बड़े विकसित राज्यों की है। जो शिक्षा की दृष्टि और आर्थिक विकास से आगे माने जाते हैं। भारत देश लिंगानुपात के मामले में कई देशों से पीछे है। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाये तो पता चलता है कि सन् 2001 के बाद भारत में लिंगानुपात कम हुआ है।

भारत में लिंगानुपात

1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	940

अनुरूपी लेखक

भारत में लिंगानुपात में क्षेत्रीय स्तर पर भी काफी विविधता पायी जाती है। 1991 में 916 प्रति हजार महिलाओं से कम संख्या 13 राज्यों की थी जबकि 2001 में सुधरकर 12 रह गयी। एक निजी सर्वेक्षण के चलते परिणाम सामने आये जिनके समाज की मानसिकता का पता चलता है। सर्वे के अनुसार उच्च वर्ग के परिवारों में पहली संतान पुत्र तथा दूसरी संतान पुत्री है जबकि मध्यम वर्ग या निर्धन वर्ग में प्रथम संतान कन्या और द्वितीय संतान या तीसरी संतान पुत्र के रूप में है। स्पष्ट है कि उच्च वर्ग और निर्धन वर्ग की मानसिकता के चलते ही सर्वेक्षण के परिणाम सामने आये हैं। दोनों वर्गों की संतान स्वाभाविक नैसर्गिक नहीं है वरन् आधुनिक सोच व तकनीकि ही दृष्टिगत होती है। उच्च वर्ग लिंग जांच का मंहगा और आधुनिक तरीका अपनाकर यह ज्ञात कर लेता है कि गर्भस्थ शिशु क्या है, लड़का है या लड़की। फिर लड़की का पता चलते ही उसे गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है।

बालचिनी गांव में 55 वर्षीय कलावती के साथ गुजरा हादसा इसकी जीती–जागती मिसाल है। उसने अपनी 20 साल की बेटी के बालिका भ्रूण को इसलिए गिरा दिया ताकि उसकी बेटी को उसकी ससुराल से निकाल न दिया जाये। बेटी के होने का दंश कलावती ने अपनी लंबी उम्र के हर पड़ाव पर झेला है। मध्य प्रदेश के इन गांवों की अजीब रस्में हैं। भिण्ड के गोवध की रस्म है कि बच्चा जन्म ले तो एक कमरे में स्त्रियां जमा हो जायें और दूसरे कमरे में पुरूष लड़के जन्म लेते ही तालियां बजायी जाती है। लड़की के जन्म लेने पर स्त्रियां पुरूषों से पूछती हैं कि बरात लौटानी है या रखनी है। बारात लौटानी है शब्द को सुनते ही स्त्रियां बाहर निकल जाती है। इसके साथ ही जच्चा को मुंह में तंबाकू भरने को कहा जाता है। जो महिला तम्बाकू भरने से मना करती है, वो मौत का खतरा मोल लेती है। घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्या शिशु किस प्रकार मारा जाये, इस बात पर चर्चा होती है। चारपायी के पाये से या गर्दन मरोड़कर मारा जाये? तब इसमें कोई कानून या अदालत नहीं होती।

भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान तकनीक के लिए 1994 में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अनुसार भ्रूण हत्या व लिंगानुपात वाले बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए कुछ नियम लागू किये हैं जो कि निम्न हैं :

1. गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना या करवाना,
2. शब्दों या इशारों से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में बताना या मालूम करना,
3. गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच कराने का विज्ञापन देना।
4. गर्भवती महिला को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने के लिए उकसाना गैरकानूनी है।
5. कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाये बिना प्रसव पूर्व निदान तकनीकि अर्थात् अल्ट्रासाउण्ड मशीन का प्रयोग नहीं कर सकता।
6. केन्द्र के मुख्य स्थान पर जांच केन्द्र के मुख पर यह लिखवाना कि यहां पर भ्रूण के लिंग की जांच नहीं की जाती। यह एक कानूनी अपराध है।

गर्भपात का कानून– गर्भवती स्त्री कानूनी तौर पर गर्भपात केवल निम्नलिखित स्थितियों में करवा सकती है :–

1. जब गर्भ की वजह से महिला को जान का खतरा हो।
2. महिलाओं के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो।
3. गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो।
4. बच्चा गम्भीर रूप से विकलांग या अपाहिज पैदा हो सकता हो।
5. महिला या पुरूष द्वारा अपनाया गया कोई भी परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो।

गर्भवती स्त्री से जबरजस्ती गर्भपात करवाना अपराध है।

गर्भपाल केवल सरकारी अस्पताल या निजी चिकित्सा केन्द्र जहां पर फार्म बी लगा हो, में सिर्फ रजिस्ट्रकृत डाक्टर से ही करवाया जा सकता है।

धारा–313– स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करने के बारे में कहा गया है, इस प्रकार से गर्भपात करवाने वाले को आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

धारा–314– के अन्तर्गत बताया गया है कि गर्भपात कारित करने के आशय से किये गये कार्यों द्वारा कारित मृत्यु से 10 वर्ष का कारावासा, जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है और यदि इस प्रकार का गर्भपात स्त्री की सहमति के बिना किया गया तो आजीवन कारावास होगा।

धारा–315– के अन्तर्गत बताया गया है कि शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित आशय से किया गया कार्य से संबंधित यदि कोई अपराध होता है तो इस प्रकार के कार्य करने वाले को 10 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

निष्कर्ष : उपर्युक्त विवरण से यह पाया जा

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

सकता है, यद्यपि भारतीय समाज में महिला सुरक्षा पायी जाती है किन्तु यह असमानता का एक ऐसा लक्षण है जो उनके प्रति पुरूष समाज को इतना सचेत कर रखा है कि वह उन्हें कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध करने को बाध्य करता है। हर समाज में इसका स्वरूप भिन्न–भिन्न है। परन्तु वह रास्ता तो कन्या भ्रूण हत्या की ओर ही जाता है।

सुझाव :–स्त्री और पुरूष एक गाड़ी के दो पहिये हैं। दोनों मिलकर ही परिवार का निर्माण करते हैं। आज स्त्री–पुरूष अनुपात तेजी से घट रहा है। गिरते लिंगानुपात को सम्भालने की आवश्यकता है। इसमे राज्यों, मीड़िया, समाज, चिकिस्तकों, जनता को एकसाथ खड़े होने की जरूरत है। ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कन्या भ्रूण हत्या विरोध कानून पूरे तरीके से और कारगर ढंग से लागू हो पाये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 अमीता सिंह, लिंग एवं समाज पेज नं0 146
2. भारत में स्त्री असमानता, गोपाजोशी, पंज नं0 13
3. रानू शर्मा, लक्ष्म से दूर ग्रामीण नारी पेज नं0 110
4. अनीता सिंह चौहान, बदलते परिवेश में स्त्री प्रगति, पेज नं0 13
5. रानू शर्मा, लक्ष्य से दूर ग्रामीण नारी, पेज नं0 113

*****